न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./50/2022

1. श्री रामा पुत्र माधू जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति गीता पुत्री माधू जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रोडू पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री महावीर पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता संख्या 884 में दर्ज खसरा नं. 4863 रकबा 0.49 है0, ख0नं. 4864 रकबा 0.18 एवं खसरा नम्बर 4865 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 02 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़ली का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता संख्या 884 में दर्ज खसरा नं. 4863 रकबा 0.49 है0, ख0नं. 4864 रकबा 0.18 एवं खसरा नम्बर 4865 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैं0,** प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख

Scanned with CamScanner

[illegible]

Scanned with CamScanner